

फाइल सं. _____

ग्राहक आईडी - _____

श्री/श्रीमती _____ (उधार

लेने वाले व्यक्ति और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.) के बीच सहमत आवास ऋण की प्रमुख निबंधन व शर्तें इस प्रकार हैं -

1. ऋण -

- ऋण की राशि - ` _____/-
(रुपए _____ मात्र)

- ऋण का उद्देश्य -

- _____ माह ।

(बहरहाल, ऋण के लंबित होने के दौरान, अस्थिर ब्याज दर के तहत ऋण लेने के मामले में ब्याज दर में बढ़ोत्तरी / कमी पर निर्भर करते हुए ईएमआई/अवधि परिवर्तित हो सकती है)

2. शुल्क तथा अन्य प्रभार - (यथा लागू प्रभार शाखाओं द्वारा भरे जाने हैं, यदि प्रभार कुछ नहीं है तो "कुछ नहीं" दर्शाएँ)

- संसाधन शुल्क - ` _____/-
- प्रशासनिक शुल्क - ` _____/-
- रूपांतरण प्रभार - बकाया ऋण+सेवा कर का ___%
- आंशिक/पूर्व-भुगतान प्रभार - कुछ नहीं
- चैक/ईसीएस अनादरण प्रभार - ` _____/- + सेवा कर
- दस्तावेज पुनःप्राप्ति प्रभार - ` _____/-
- खाता विवरण - अनंतिम आयकर प्रमाण-पत्र, अंतिम आयकर प्रमाण-पत्र, स्थिति रिपोर्ट चालू वर्ष के लिए निशुल्क, तदुपरांत ` _____/- प्रति दस्तावेज+सेवा कर
- सुरक्षा दस्तावेजों की प्रतियाँ - ` _____/- प्रति पृष्ठ+सेवा कर
- वसूली प्रभार डिफाल्ट किस्तें-
1 - 2 माह ` _____/-
3 - 12 माह ___% प्रति किस्त
13 - 24 माह ___% प्रति किस्त
25 माह और उससे अधिक ___% प्रति किस्त
- प्रतिभूतिकरण के तहत वसूली प्रभार - वास्तविक व्यय
- सीईआरएसएआई प्रभार
5 लाख तक के ऋण के लिए - ` _____/- तथा सेवा कर
5 लाख से अधिक के ऋण के लिए - ` _____/- तथा सेवा कर

3.

- परिसंपत्ति की अनुसूची (करार/विक्रय विलेख के अनुसार)

-
-
-
-
- गारंटी - गारंटीकर्ता का नाम (यदि कोई हो) _____
 - अन्य प्रतिभूति (यदि कोई एलआईसी आदि हो) _____
-
-

4.

ईएमआई - ` _____ /- (रुपए _____ मात्र)
किस्तों की संख्या _____ माह ।

पीईएमआई और ईएमआई की चुकौती इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) विधि से प्रत्येक माह के अंत में या उत्तर दिनांकित चैक द्वारा (केवल पीईएमआई के मामलों में) की जा सकती है ।

ब्याज की दर / ईएमआई में परिवर्तन की सूचना पत्र/ईमेल/एसएमएस द्वारा दी जाएगी ।

5. अतिदेय की वसूली के लिए अनुसरित की जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया

1 या 2 महीने या 3 महीनों तक के अति देय - उधार लेने वाले व्यक्ति को फ़ोन पर याद दिलाते हुए तथा फ़ोन/एसएमएस और ईमेल पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए ।

4 महीनों तक के अति देय - अधिकारी निजी तौर पर उधार लेने वाले व्यक्ति से मिलेंगे और संभावित कार्रवाई से उन्हें सचेत करेंगे ।

5 महीनों तक के अति देय - गारंटीकर्ता (यदि कोई हो) को पत्रों द्वारा सूचना दी जाएगी कि वे राशि का भुगतान तत्काल करें ।

6 महीनों तक के अति देय - एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए देय राशि वसूल करने के कदम उठाए जाएँगे ।

एसएआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी करना ।

धारा 13(2) के तहत सूचना जारी करने या कथित नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों की समाप्ति पर, इनमें से जो भी बाद में हो, यदि उधार लेने वाले व्यक्ति तथा / या गारंटीकर्ता की ओर से कोई भुगतान नहीं किया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से शाखा कार्यालय किसी भी समय धारा 13(4) के तहत कार्रवाई कर सकता है और प्रतिभूति प्रवर्तित कर सकता है ।

उधार लेने वाले व्यक्ति को कथित 30 (तीस) दिनों की नोटिस भेजने के बाद, शाखा कार्यालय अपने प्राधिकृत अधिकारी के परामर्श से, नीलामी बिक्री की अनुसूची में शामिल नीलामी बिक्री सूचना प्रकाशित करेंगे ।

विलंबित भुगतान के मामले में ऋण प्रस्ताव पत्र तथा ऋण के करार में निर्दिष्ट दर पर जुर्माना स्वरूप ब्याज लगाया जाएगा ।

6. ग्राहक सेवाएँ -

7. शिकायत निवारण -

ग) यदि शिकायत का निवारण 10 दिनों की अवधि से अधिक समय तक नहीं किया जाता तो उधार लेने वाले व्यक्ति अपनी मामले को निम्नलिखित पते पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष को पेश कर सकते हैं -